भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1087

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड

†1087. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य-वार और पंजाब में ज़िला-वार कितने आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन लोगों की संख्या के बारे में कोई डेटा रखा है जिन्होंने वास्तव में 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य

कवरेज के लिए अपने आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग किया है और यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान पंजाब में ज़िला-वार इस योजना के अंतर्गत कितने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और कितने अस्पतालों को पैनल से हटाया गया है;

(घ) क्या सरकार को पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले भुगतानों में विशेषकर पंजाब में देरी की कोई सूचना मिली है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत पंजाब राज्य द्वारा कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): पिछले पांच वर्षों में आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत बनाए गए आयुष्मान कार्डों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। पंजाब में पिछले पांच वर्षों में एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत बनाए गए आयुष्मान कार्डों का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है ।

(ख): आज की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 9.84 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्तियां प्राधिकृत की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है ।

(ग): एबी-पीएमजेएवाई के तहत, सभी सार्वजनिक अस्पतालों को पैनल में शामिल माना जाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान पंजाब में इस योजना के अंतर्गत पैनल में शामिल निजी अस्पतालों की संख्या का ज़िलावार विवरण **अनुलग्नक -IV** में दिया गया है । इसके अतिरिक्त, पिछले दो वर्षों में पंजाब राज्य में किसी भी अस्पताल को पैनल से बाहर नहीं किया गया है।

(घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एबी-पीएमजेएवाई के तहत अंतःराज्यीय अस्पतालों (राज्य के भीतर स्थित अस्पतालों) के लिए दावा प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर और सुवाह्यता वाले दावों (राज्य के बाहर स्थित अस्पतालों) के मामले में 30 दिनों के भीतर अस्पतालों को दावे का भुगतान करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

दावों के निपटान की प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं । इसके अलावा, दावों के कुशल निपटान के लिए क्षमता निर्माण संबंधी कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं और लाभार्थी सुविधा एजेंसियाँ संव्यवहार प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) पर दावों का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करती हैं और सभी विसंगतियों का समाधान करती हैं।

(ङ): एबी पीएम-जेएवाई का वित्तपोषण पूरी तरह से मांग पर आधारित है। एनएचए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वास्तविक मांग के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार धनराशि का आवंटन नहीं है। एनएचए द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य प्रत्येक नई निधियां जारी करने से पहले पूर्व में प्राप्त निधियों का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं। पिछले पाँच वर्षों में पंजाब राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में 418.90 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

अनुलग्नक - I

पिछले पांच वर्षों में एबी पीएम-जेएवाई के अंतर्गत बनाए गए आयुष्मान कार्डों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**बनाए गए आयुष्मान कार्ड**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	64,020
आंध्र प्रदेश	1,57,80,920
अरुणाचल प्रदेश	1,55,289
असम	1,73,37,930
बिहार	3,20,16,078
चंडीगढ़	2,25,948
छत्तीसगढ़	2,05,15,878
दिल्ली	12,049
दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीव	51,193
गोवा	69,638
गुजरात	2,00,59,043
हरियाणा	1,10,27,610
हिमाचल प्रदेश	5,61,102
जम्मू और कश्मीर	75,76,323
झारखंड	38,26,676
कर्नाटक	1,83,76,411
केरल	19,34,513
लद्दाख	1,62,478
लक्षद्वीप	34,376
मध्य प्रदेश	2,90,75,425
महाराष्ट्र	2,44,26,404
मणिपुर	4,32,383
मेघालय	5,37,265
मिजोरम	2,36,621
नागालैंड	5,09,683
ओडिशा	3,44,72,237
पुदुचेरी	4,19,853
पंजाब	53,34,531
राजस्थान	2,24,34,212
सिक्किम	53,378
तमिलनाडु	79,98,045
तेलंगाना	83,22,520
त्रिपुरा	9,68,001
उत्तरप्रदेश	4,33,44,688
उत्तराखंड	22,21,134

अनुलग्नक - II

पंजाब में पिछले पांच वर्षों में एबी पीएम-जेएवाई के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्डों का जिलावार विवरण

ज़िला	**बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या**
अमृतसर	3,94,254
बरनाला	1,40,613
बठिंडा	2,98,130
फरीदकोट	1,19,856
फतेहगढ़ साहिब	1,19,484
फाजिल्का	1,61,316
फिरोजपुर	1,61,672
गुरदासपुर	3,86,336
होशियारपुर	3,07,556
जालंधर	4,67,804
कपूरथला	1,40,881
लुधियाना	6,29,442
मलेरकोटला	21,435
मानसा	1,94,404
मोगा	1,49,400
पठानकोट	1,43,577
पटियाला	3,94,261
रूपनगर	1,28,132
एस.ए.एस नगर	1,54,097
संगरूर	3,63,195
शहीद भगत सिंह नगर	1,25,250
श्री मुक्तसर साहिब	1,62,817
तरन तारन	1,70,619

अनुलग्नक - III

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(30.06.2025 तक की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,803
आंध्र प्रदेश	86,43,065
अरुणाचल प्रदेश	8,988
असम	16,40,211
बिहार	21,29,621
चंडीगढ़	76,782
छत्तीसगढ़	76,78,163
दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीव	1,50,900
दिल्ली	1,896
गोवा	17,890
गुजरात	69,79,688
हरियाणा	26,24,686
हिमाचल प्रदेश	3,76,436
जम्मू और कश्मीर	17,33,327
झारखंड	25,25,003
कर्नाटक	1,24,23,896
केरल	71,73,007
लद्दाख	26,264
लक्षद्वीप	1,600
मध्य प्रदेश	60,27,160
महाराष्ट्र	33,26,975
मणिपुर	2,52,130
मेघालय	10,65,227
मिजोरम	1,60,733
नागालैंड	1,05,735
ओडिशा	2,62,091
पुदुचेरी	1,37,447
पंजाब	27,83,940
राजस्थान	73,31,426
सिक्किम	33,210
तमिलनाडु	1,14,91,851
तेलंगाना	23,59,336
त्रिपुरा	4,74,929
उत्तरप्रदेश	68,18,130
उत्तराखंड	15,85,625

अनुलग्नक - IV

पंजाब में पिछले दो वर्षों के दौरान पैनलबद्ध निजी अस्पतालों की संख्या का जिलावार विवरण

ज़िला	**पैनलबद्ध निजी अस्पतालों की संख्या**
अमृतसर	7
बरनाला	4
बठिंडा	20
फतेहगढ़ साहिब	6
फाजिल्का	1
फिरोजपुर	5
गुरदासपुर	3
होशियारपुर	1
जालंधर	2
कपूरथला	1
लुधियाना	17
मलेरकोटला	1
मानसा	2
मोगा	5
पठानकोट	3
पटियाला	14
रूपनगर	6
एस.ए.एस नगर	3
संगरूर	6
शहीद भगत सिंह नगर	1
श्री मुक्तसर साहिब	3
फरीदकोट	0
तरन तारन	0

*****